

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रण संलग्न चिकित्सालय समूह
कोटा

रंगबाडी रोड कोटा-324005, दूरभाष: 0744-2470674,

E-mail Id: principalmck@gmail.com Website : www.education.rajasthan.gov.in/gmckota

क्रमांक :-प.2()स्था0 अराज0 / 2021 / 110 |

दिनांक :- 03.06.2021

--:नोटिस:-

आज दिनांक 03.06.2021 को दोपहर 3:00 बजे विज्ञप्ति क्रमांक 993 दिनांक 18.05.2021 के क्रम में चयन समिति एवं दस्तावेज जाँच समिति की संयुक्त बैठक आहूत की गई जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तृत पुर्नविचार करते हुए निम्नलिखित सर्वसम्मत निर्णय लिए गये:-

1. इस कार्यालय के द्वारा जारी पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार पर नर्स ग्रेड-11 की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक प.2() स्था0अराज0 / 2021 / 993 दिनांक 18.05.2021 के क्रम में जारी नोटिस क्रमांक 1095 दिनांक 02.06.2021 व संलग्न सूची अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है ।
2. दिनांक 04.06.2021 को होने वाले साक्षात्कार भी निरस्त किये जाते है।
3. उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत अन्तिम दिनांक 26.05.2021 को सांय 5:00 बजे पश्चात को किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों को साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है।
4. विज्ञप्ति अनुसार आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है उन आवेदनों को साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है।
5. विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन प्रारूप से भिन्न/अहस्ताक्षरित आवेदन साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है।
6. विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित दिनांक तक प्राप्त आवेदनों में से दिनांक 08.06.2021 को सांय 5:00 बजे को पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। तत्पश्चात सभी पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने हेतु अग्रिम व्यवस्था व कार्यक्रम इस संस्थान की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा।



(डॉ० विजय सरदाना)


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

दिनांक:- 03.06.2021

क्रमांक:- प.2()स्था0.अराज0 / 2021 / 110 |

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलेक्टर महोदय, कोटा।
2. निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, पिक स्ववायर के पास गोविन्द मार्ग जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम/द्वितीय/तृतीय।
5. मुख्यलेखाधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय कोटा।
6. चयन समिति एवं दस्तावेज जाँच समिति सदस्यों को पालनार्थ।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त निजी सचिव चिकित्सा महाविद्यालय कोटा।



प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक